विभिन्न स्कूलों में रिक्त स्थान

2333. **श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल :** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली नगर निगम, दिल्ली प्रशासन और नई दिल्ली नगरपालिका के स्कूलों में 30 जून, 1993 की स्थिति के अनुसार शिक्षकों के कुल कितने स्थान रिक्त थे,

(ख) उक्त रिक्त स्थानों में से कितने पद उर्दू के शिक्षकों के हैं, और

(ग) इन रिक्त स्थानों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन, नई दिल्ली नगरपालिका तथा दिल्ली नगर निगम द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इन एजेंसियों द्वारा संचालित स्कूलों में 30 जून, 1993 तक की स्थिति के अनुसार रिक्त पड़े हुए कुल पदों की संख्या तथा उर्दू शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या निम्नवत है :

	कुल रिक्त पदों की संख्या	उर्दू शिक्षकों के रिक्त पद
दिल्ली प्रशासन	1088	160
नई दिल्ली नगर पालिका	35	3
दिल्ली नगर निगम	1329	32

(ग) स्कूलों में शिक्षकों की रिक्तियां त्याग पत्र, सेवा निवृत्ति तथा स्कूल के स्तरोन्नत होने के कारण समय-समय पर बदली रहती हैं । इन रिक्त स्थानों को भरने की एक सतत प्रक्रिया है तथा इन रिक्त पदों को भरने के लिए हमेशा ही विभिन्न प्रयास किए जाते हैं । इन एजेंसियों द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञापन, रोजगार कार्यालय तथा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से इन रिक्त पदों को भरने के लिए कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी गई है ।

Fxport or Non-Antiquities

2334. DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) the number of meetings of the Expert Advisory Committee under the Antiquities and Art Treasures Act for export of non-antiquities were held in year 1992-93:

(b) whether it is a fact that the Expert Committee unnecessarily delays the export learancc of non-antiquities whereby scarce Inrcign exchange is lost:

(c) whether any complaints of irregularity, corruption or favouritism have been received by the Department against the Expert Advisory Committee: and

(d) what is the mechanism of monitoring the actions of the Expert Advisory Committee in cases where the appeals Committee decide against the decisions of the Committee?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT DEPARTMENT OF EDUCATION AND DEPARTMENT OF CULTURE (KUMARI SELJA): (a) Total 93.

(b) No. Sir.

(c) No. Sir.

(d) Appeals are received by the Director General. Archaeological Survey of India, New Delhi under Section-24 of the Antiquities and Art Treasures Act, 1972 as follows:

If any question arises whether any article, object or thing or manuscript, record or other document is or is not an antiquity or is or not an art treasure for the purposes of this Act, it shall be referred to the Director General. Archaeological Survey of India, or to an officer not below the rank of a Director in the Archaeological Survey of India authorised by the Director General, Archaeological Survey of India and the decision of the Director General, Archaeological Survey of India or such officer, as the case may be, on such question shall be final.

On receipt of such appeal. Director General. Archaeological Survey of India, constitutes a Committee to reexamine the findings of the Expert Advisory Committee for export of Non-Antiquities.

This appeal committee's specialists in the objects to be examined arc different from those co-opted by the earlier committee. The party is given full opportunity to represent its case. The decision, thereupon is final and investigating agencies proceed further as per the nature of the offence in the case.

डा० बी० आर० अम्बेडकर विश्वविद्यालय

2335. **चौधरी हरमोहन सिंह :** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1993 की स्थिति के अनुसार बी० आर० अम्बेडकर विश्वविद्यालय के निर्माण-कार्य में कितने प्रतिशत प्रगति हुई है; और

(ङ) उपरोक्त विश्वविद्यालय के निर्माण से संबंधित पूरे किए गए विभिन्न कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सूचनानुसार लखनऊ स्थित डा., भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय के परिसर की चारदीवारी का निर्माण किया जा चुका है । तथापि, विश्वविद्यालय भवन का मुख्य निर्माण कार्य अभी आरंभ होना है । वास्तुशिल्पीय व निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि., को दिया गया है । प्रशासनिक ब्लाक का शिलान्यास किया गया है तथा उत्तर प्रदेश सरकार ने निगम को प्लान, प्राक्कलन, डिजाईन आदि शीघ्रातिशीघ्र तैयार करने और कार्य आरंभ करने के निर्देश दिए गए हैं । उत्तर प्रदेश सरकार ने परियोजना के लिए 22.61.31,000 रु., की वित्तीय सहायता संस्वीकृत की । केन्द्रीय सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने का निर्णय लिया जा चुका है ।

Financial Problem? or Dicky Dolma, A Mount Evcrcsl Climhcr

2336 SHRI niSHAMnilAR NATH PANDE: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to stale:

(a) whether Government are aware I hat Dicky Dolma, a Mount Everest Climber, is facing acute financial problems: and

(b) if so, what measures Government hiive taken to ameliorate her miseries?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS) WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PAR-. LIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MUKUL WASNIK): (a) and (b) Government has so far not been approached for any assistance lo Dicky Dolma or about any financial problems being faced by her. However, the Indian Mountaineering Foundation has requested all Stale Governors/Chief Ministers from where girls have taken part in the Expedition including the Governor of Himachal Pradesh, the Stale to which Ms. Dicky Dolma belongs to consider cash award, besides the allotment of land. Govemmenl has come across newspaper report that Government of Himachal Pradesh has announced cash award of Rs. 1 lakh lo Ms. Dicky Dolma.

व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार

2337. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान व्यावसायिक शिक्षा के विस्तार तथा इसे व्यवस्थित करने के लिए कुल कितनी राशि खर्च की गई,

(ख) उन केन्द्रों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है जहां व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जा रही है,

(ग) इन केन्द्रों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की राज्यवार संख्या कितनी है, और

(घ) आवश्यक न्यूनतम शिक्षण और प्रशिक्षण तथा व्यवस्थित रूप से व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए संसाधन उपलब्ध कराने और शिक्षकों की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए की गई व्यवस्थाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) फरवरी, 1988 से ही +2 स्तर पर कार्यान्वित की जा रही माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की केंद्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत वर्ष 1991-92 और वर्ष 1992-93 के दौरान राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 134.40 करोड़ रु., की राशि संस्वीकृत की गई । संस्वीकृत व्यावसायिक वर्गों का राज्यवार ब्यौरा अनुपत्र में दिया गया है । [देखिए परिशिष्ट 168, अनुपत्र संख्या 38] वर्ष 1992-93 तक देश में 5012 स्कूलों में 14622 व्यावसायिक वर्गों को संस्वीकृति प्रदान की गई है । इस प्रकार +2 स्तर पर 7.13 लाख विद्यार्थियों के लिए विषयान्तर की सुविधाएं सृजित की गई हैं (कक्षा XI एवं XII में 25 विद्यार्थी प्रति वर्ग की दर से) ।

(घ) केंद्रीय प्रायोजित योजना के मानदण्डों के अनुसार व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए पूर्णकालिक और अंशकालिक शिक्षकों के पद संस्वीकृत किए गए हैं । केंद्र सरकार भी राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों को विभिन्न मदों के खर्च के लिए योजना में विस्तृत रूपों में बनाई गई हिस्सेदारी की पद्धति में वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है ।

Synthetic Athletic Track at Nehru Stadium. Madras

2338. SHRI V. RAJAN CHELLAPPA:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to stale :

(a) whether Government have any plan lo provide Synthetic Athletic Trpck at Nehru Stadium at Madras;

(b) if so, the details thereof and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE